

निविदा सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सरकारी चिकित्सालयों में उत्सर्जित होने वाले बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, द्वारा अनुमोदित कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कराये जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक दिनांक 18.04.2016 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 08.08.2016 को निविदा आमंत्रित की जाती है, उक्त निविदा दिनांक-08.08.2016 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर में निर्धारित बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन (दिनांक-08.08.2016) को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर में ही अपराह्न 03:00 बजे निविदा समिति एवं जिलाधिकारी, द्वारा गठित समित के समक्ष खोली जायेगी, इच्छुक फर्म/एजेन्सी दिनांक 03.08.2016 से दिनांक-07.08.2016 तक कार्य दिवस में रू0 1000/- नगद जमा कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन0एच0एम0 अनुभाग एवं कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जौनपुर से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं निविदा जमा करते समय फार्म के साथ रू0 10000/- अर्नरेस्ट मनी के रूप में का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर के पक्ष में देय होगा लगाना अनिवार्य है, निविदा से सम्बन्धित सेवा शर्तें एवं अन्य जानकारी फार्म के साथ संलग्न है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर

संख्या : बायोमेडिकल बेस्ट / निविदा / 2016-17 / 12086-92

तददिनांक-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जौनपुर।
2. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा सूचना आज ही किसी दो ख्याति प्राप्त दैनिक, समाचार पत्रों में एक दिन हेतु अधिकतम रू0 4000/- तक प्रति समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर विज्ञापन/बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर में प्रस्तुत करें।
3. डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा विज्ञापित जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कार्यालय जिलाधिकारी नोटिस बोर्ड, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोटिस बोर्ड, पर चस्पा हेतु।
5. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, जौनपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
7. अभिलेखार्थ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।